



## Key Indicator – 4.1 : Physical Facility

Metric: 4.1.2

**Government Guidelines & Instructions and  
Minutes of meetings related to budget allocation  
for infrastructure development**



***GOVT. M. H. COLLEGE OF HOME SCIENCE  
AND SCIENCE FOR WOMEN, JABALPUR  
SESSION 2019-20 TO 2023-24***



मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल  
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 04.12.19

क्रमांक 1008 /03/रूसा/सी.सी. /19/38 राज्य शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में संचालित विश्व बैंक परियोजना (MPHEQIP) तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है :-

(1) कार्यकारी समिति -

- |                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. आयुक्त, उच्च शिक्षा                                                 | -अध्यक्ष    |
| 2. अतिरिक्त संचालक, वित्त, संचालनालय उच्च शिक्षा                       | -सदस्य      |
| 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधि., योजना, संचालनालय उच्च शिक्षा                 | -सदस्य      |
| 4. विशेष कर्तव्यस्थ अधि. विश्व बैंक, संचालनालय उच्च शिक्षा             | -सदस्य      |
| 5. अपर परियोजना संचालक/विश्व बैंक परियोजना के प्रभारी                  | -सदस्य      |
| 6. परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान/विश्व बैंक परियोजना | -सदस्य सचिव |

समिति के कार्य-

1. रूपये 10 लाख से अधिक तथा 10 करोड़ तक की निविदाओं को जारी करने की स्वीकृति प्रदान करना।
2. रूपये 10 करोड़ की राशि तक की प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन/ परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करना।
3. रूपये 10 करोड़ की राशि से अधिक राशि की निविदाओं का मूल्यांकन/परीक्षण कर साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सामाजिक, पर्यावरणीय एवं अन्य प्रकार के संरक्षण मापदण्डों के मूल्यांकन एवं पालन की समीक्षा।
5. परियोजना से संबंधित अन्य कोई भी तकनीकी एवं प्रशासनिक विषय पर विचार करना।
6. समिति को किसी विषय पर विशेषज्ञों की समिति गठित कर समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्णय लेकर कार्यवाही करना।
7. महाविद्यालय स्तर पर क्रय किये जाने वाले समस्त उपकरण/सामग्री का स्पेसिफिकेशन का निर्धारण करना।

निरन्तर....2...

(2) महाविद्यालय स्तर पर तकनीकी एवं निविदा समिति -


- |    |                                                                                    |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | महाविद्यालय के प्राचार्य                                                           | -अध्यक्ष     |
| 2; | संभागीय/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा                                     | -सदस्य       |
| 3. | प्राचार्य अग्रणी शासकीय महाविद्यालय                                                | -सदस्य       |
| 4. | वरिष्ठ प्राध्यापक/सह. प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक                                  | -सदस्य       |
| 5. | जिले के कलेक्टर का प्रतिनिधि                                                       | -सदस्य       |
| 6. | महाविद्यालय के प्राध्यापक/सह. प्राध्यापक/<br>(रूसा/विश्व बैंक परियोजना का प्रभारी) | - सदस्य सचिव |

समिति के कार्य-

1. रूपये 10 लाख तक निविदाओं को जारी करने की स्वीकृति प्रदान करना ।
2. रूपये 10 लाख की राशि तक की प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन/ परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करना ।
3. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सामाजिक, पर्यावरणीय एवं अन्य प्रकार के संरक्षण मापदण्डों के मूल्यांकन एवं पालन की समीक्षा ।
4. परियोजना से संबंधित अन्य कोई भी तकनीकी एवं प्रशासनिक विषय पर विचार करना ।

उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति क्रमांक 512/2019/ब-3/आर-615 दिनांक 18.11.2019 के उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(डॉ. जयश्री मिश्रा)  
अपर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरन्तर....3...


//3//

पृ. क्रमांक 1009 /03/रूसा/सी.सी. /19/38

भोपाल, दिनांक 04.12.19

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय ,मंत्री जी ,मध्यप्रदेश शासन ,उच्च शिक्षा ।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
4. परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ए.व्ही.एन.टावर,  
जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल



अपर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग


मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 31/3/21

क्रमांक 377/17/रूसा/सी.सी./20/38 राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1008-09/03/ रूसा/सी.सी./20/38 दिनांक 04.12.2019 में विश्व बैंक परियोजना (MPHEQIP) तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

1. महाविद्यालय स्तर की तकनीकी एवं निविदा समिति को रू. 10.00 लाख तक की निविदा जारी करने के स्थान पर रू. 20.00 लाख तक की निविदा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. विभाग द्वारा महाविद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली संभावित सामग्रियों की एक सूची तैयार की जाएगी तथा सामग्रियों के स्पेसिफिकेशन/मापदण्ड मुख्यालय (संचालनालय) स्तर से निर्धारित किये जायेंगे, जिससे महाविद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्रियों में एकरूपता रह सके।
3. महाविद्यालय स्तर पर वर्तमान में गठित तकनीकी एवं निविदा समिति के एक सदस्य जो कि संभागीय/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा हैं, के स्थान पर महाविद्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम प्राध्यापक को सदस्य बनाया जाये जिससे महाविद्यालय स्तर पर शीघ्रता से कार्य सम्पन्न हो सके।




निरन्तर..2..

4. महाविद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्री में मुख्यालय स्तर से निर्धारित स्पेसिफिकेशन/मापदण्ड से हटकर क्रय की जाने वाली सामग्री, जो कि कार्य संचालन हेतु अति- आवश्यक हो, के प्रकरणों में एक वर्ष में समग्ररूप से अधिकतम राशि रू. 3.00 लाख तक के क्रय का अधिकार भी महाविद्यालय स्तर की समिति को दिया जाता है, जिससे स्थानीय स्तर पर कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण किया जा सके।

उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति क्रमांक 108/R-46/ब-3/चार/2021 दिनांक 22.03.2021 के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( वीरन सिंह भलावी )  
अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

पृ. क्रमांक  
प्रतिलिपि:-

/17/रूसा/सी.सी. /20/38

भोपाल, दिनांक

1. विशेष सहायक माननीय ,मंत्री जी ,मध्यप्रदेश शासन ,उच्च शिक्षा ।
2. निज सहायक,प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,ए.व्ही.एन.टावर,  
जोन-1,एम.पी.नगर,भोपाल

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल  
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 04.12.19

क्रमांक 1008 /03/रूसा/सी.सी. /19/38 राज्य शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में संचालित विश्व बैंक परियोजना (MPHEQIP) तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है :-

(1) कार्यकारी समिति -

- |                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. आयुक्त, उच्च शिक्षा                                                 | -अध्यक्ष    |
| 2. अतिरिक्त संचालक, वित्त, संचालनालय उच्च शिक्षा                       | -सदस्य      |
| 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधि., योजना, संचालनालय उच्च शिक्षा                 | -सदस्य      |
| 4. विशेष कर्तव्यस्थ अधि. विश्व बैंक, संचालनालय उच्च शिक्षा             | -सदस्य      |
| 5. अपर परियोजना संचालक/विश्व बैंक परियोजना के प्रभारी                  | -सदस्य      |
| 6. परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान/विश्व बैंक परियोजना | -सदस्य सचिव |

समिति के कार्य-

1. रूपये 10 लाख से अधिक तथा 10 करोड़ तक की निविदाओं को जारी करने की स्वीकृति प्रदान करना ।
2. रूपये 10 करोड़ की राशि तक की प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन/ परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करना ।
3. रूपये 10 करोड़ की राशि से अधिक राशि की निविदाओं का मूल्यांकन/परीक्षण कर साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना ।
4. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सामाजिक, पर्यावरणीय एवं अन्य प्रकार के संरक्षण मापदण्डों के मूल्यांकन एवं पालन की समीक्षा ।
5. परियोजना से संबंधित अन्य कोई भी तकनीकी एवं प्रशासनिक विषय पर विचार करना ।
6. समिति को किसी विषय पर विशेषज्ञों की समिति गठित कर समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्णय लेकर कार्यवाही करना ।
7. महाविद्यालय स्तर पर क्रय किये जाने वाले समस्त उपकरण/सामग्री का स्पेसिफिकेशन का निर्धारण करना ।

निरन्तर....2...

(2) महाविद्यालय स्तर पर तकनीकी एवं निविदा समिति -


- |    |                                                                                    |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | महाविद्यालय के प्राचार्य                                                           | -अध्यक्ष     |
| 2; | संभागीय/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा                                     | -सदस्य       |
| 3. | प्राचार्य अग्रणी शासकीय महाविद्यालय                                                | -सदस्य       |
| 4. | वरिष्ठ प्राध्यापक/सह. प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक                                  | -सदस्य       |
| 5. | जिले के कलेक्टर का प्रतिनिधि                                                       | -सदस्य       |
| 6. | महाविद्यालय के प्राध्यापक/सह. प्राध्यापक/<br>(रूसा/विश्व बैंक परियोजना का प्रभारी) | - सदस्य सचिव |

समिति के कार्य-

1. रूपये 10 लाख तक निविदाओं को जारी करने की स्वीकृति प्रदान करना ।
2. रूपये 10 लाख की राशि तक की प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन/ परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करना ।
3. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सामाजिक, पर्यावरणीय एवं अन्य प्रकार के संरक्षण मापदण्डों के मूल्यांकन एवं पालन की समीक्षा ।
4. परियोजना से संबंधित अन्य कोई भी तकनीकी एवं प्रशासनिक विषय पर विचार करना ।

उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति क्रमांक 512/2019/ब-3/आर-615 दिनांक 18.11.2019 के उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(डॉ. जयश्री मिश्रा)  
अपर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरन्तर....3...




//3//

पृ. क्रमांक 1009 /03/रूसा/सी.सी. /19/38

भोपाल, दिनांक 04.12.19

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय ,मंत्री जी ,मध्यप्रदेश शासन ,उच्च शिक्षा ।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
4. परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ए.व्ही.एन.टावर,  
जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल



अपर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग


मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल  
//संशोधन आदेश//

भोपाल, दिनांक 21/10/2021

क्रमांक 825/17/रूसा/सी.सी/20/38 : विश्व बैंक परियोजना (MPHEQIP) तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु राज्य शासन एतद द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश 377-78/17/रूसा/सी.सी/20/38 दिनांक 31.03.2021 की कंडिका-1 में महाविद्यालय स्तर की तकनीकी एवं निविदा समिति को रु. 20.00 लाख तक की निविदा जारी एवं स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करता है। शेष कंडिकार्यें यथावत रहेगी।

2. वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 297/R-495/ब-3/चार/2021 दिनांक 05.10.2021 के अनुसार राशि रु. 20.00 लाख तक के निविदा स्वीकृति के अधिकार महाविद्यालय स्तर पर देने हेतु इस शर्त के साथ सहमति दी गयी है कि परियोजना की समाप्ति के पश्चात दिये गये वित्तीय अधिकार स्वमेव समाप्त/अप्रभावी हो जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( वीरन सिंह भलावी )

अवर सचिव,


म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक

पृ.क्रमांक /17/रूसा/सी.सी/20/38

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
4. परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ए.व्ही.एन.टावर, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल।

  
अवर सचिव,

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)

# जन भागीदारी सामान्य परिषद् बैठक

DATE

दिनांक 25/08/2022 को कॉन्फ्रेंस रूम में समय 12.00 बजे जनभागीदारी सामान्य परिषद् बैठक आयोजित की गई।

जनभागीदारी सचिव / प्राचार्य डॉ. नंदिता सरकार एवं प्रभारी प्रो. राजेन्द्र मिश्रा जी ने सभी सम्माननीय सदस्यों का परिचय देते हुए स्वागत किया।

श्री नमः शिवाय अरजरिया, अपर कलेक्टर, एस.डी. अधारताल की अध्यक्षता में अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची (एजेन्डा) पर विन्दुवार चर्चा -

1. गणित एवं कम्प्यूटर विभाग का प्रस्ताव - म.द. पी. डी. म.

गणित एवं कम्प्यूटर विभाग हेतु

कम्प्यूटर की अनुमति प्रदान की गई। जिस अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों द्वारा स्वीकृति दी गई।

1. Internet Connection Lab - 40 computers में प. Acer 15 (8 नग) रु. 62200 अ.द.
2. प्रिंटर - रु. 15000/- (अनुमानित) 5. A.M.C (40 नग) (कम्प्यूटर) रु. 62200
3. Computer HP i5 - रु. 63500 (अनुमानित प्रति कम्प्यूटर) 6. Books - CA/CS - रु. 25000 (अनुमानित)

2. रसायन शास्त्र विभाग का प्रस्ताव म.द. पी. डी. म.द.

Corporate Training / Internship / Project

a) Chemical and Plastic Waste Management - 10 days / Jan - Feb, Reg. Fee - Rs. 200/- (per student)

b) Basic Principles of Natural Products - 10 days / Jan - Feb, Reg. Fee - Rs. 200/- (per student)

c) Food Adulteration - 10 days / Jan - Feb, Reg. Fee - Rs. 200/- (per student)

अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों द्वारा स्वीकृति दी गई।

classmate

PAGE

17. महाविद्यालय परीक्षा परिणाम नोटिस बोर्ड पर शैड का निर्माण करवाने का प्रस्ताव -

मद - जनभागीदारी मद

महाविद्यालय परीक्षा परिणाम नोटिस बोर्ड पर शैड का निर्माण करने के प्रस्ताव में कुछ पुरानी सामग्री तथा कुछ नई सामग्री की आवश्यकता है। अनुमानित व्यय रु. 40000 - 45000

अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई।

18. छात्राओं के वाहन स्टैंड में शैड का निर्माण करवाने का प्रस्ताव - मद - जनभागीदारी मद

छात्राओं के वाहन स्टैंड में शैड का निर्माण करने के प्रस्ताव में कुछ सामग्री पुरानी तथा नई सामग्री की आवश्यकता है। अनुमानित व्यय रु. 35000 - 45000/-

अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

19. पेवर ब्लॉक की Re fixing - Front parking का प्रस्ताव -

मद - जनभागीदारी मद


पेवर ब्लॉक की Re fixing - Front parking का प्रस्ताव। लेबर एवं मटेरियल अनुमानित व्यय रु. 40000 - 50000/-


② जनभागीदारी प्रभारी प्रो. राजेन्द्र मिश्रा द्वारा महाविद्यालय में संचालित जनरेटर के सुधार कार्य टैंडु होने वाले खर्च 25,000 से 30,000 रु. अनुमानित व्यय बताया।


जिस अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की तथा यह भी सुझाव दिया कि आगामी होने वाली जनभागीदारी समिति की बैठक में नए टैंडी जनरेटर के क्रय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

महाविद्यालय के लेखापाल द्वारा सभी को जानकारी दी गई कि महाविद्यालय के जनभागीदारी मद में लगभग 48,00,000 रु. जमा (अड़तालिस लाख) होना बताया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज की बैठक समाप्त की गई एवं महाविद्यालय के जनभागीदारी प्रभारी प्रो. राजेन्द्र मिश्रा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया।

  
जनभागीदारी प्रभारी  
प्रभारी आचार्य  
जनभागीदारी समिति  
शा.मो.ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला  
महाविद्यालय, जयलपुर

  
सचिव जनभागीदारी  
प्राचार्य/सचिवदारी  
जनभागीदारी समिति  
शा.म. (स्वशारी) मो. ह. गृहविज्ञान  
एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय  
जयलपुर (ग.प.)

  
अध्यक्ष जनभागीदारी  
अध्यक्ष,  
जन भागीदारी समिति  
शा.म. ह. गृ. वि. महाविद्यालय  
जयलपुर

बैंक दिनांक - 14-10-22






प्राचार्य महोदया की अनुमति से मधोयंत्रचना विकास हेतु दिनांक 14-10-22 को प्राचार्य कक्ष में दोपहर 2.00 बजे बैंक आयोजित की गई जिसमें महा. का पत्र क्र. 2666/मैदान निर्माण/22 जबलपुर दिनांक 23.5.22 कार्यालय आयुक्त, निर्माण धूमरी, उच्चा शिक्षा, मंत्रालय शास्त्र संतपुड़ा भवन, भोपाल हेतु पत्र जारी किया गया जिसमें महा परिसर में बॉस्केटबॉल एवं बॉलीबॉल मैदान की सीमेंट्स सतह का पुनर्निर्माण PWD विभाग से प्राप्त प्राकल्प 19.50 (ऊनीस हजार पचास हजार रु.) की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया।

बैंक में निर्मांकित बिंदुओं पर चर्चा की गई जिसमें उपरोक्त सदस्यों द्वारा एक नए स्वीकृति दी गई।



- ① मह्यप्रदेश शास्त्र, उच्चा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 21-4/2015/38-2 भोपाल दिनांक 12/10/2022 के तहत महा परिसर में बॉस्केटबॉल एवं बॉलीबॉल मैदान के निर्माण हेतु रु. 19.50 की राशि मांगित की गई।

- ② महाविद्यालय-के पत्र : द्वारा -आगामी दिनांक पर शीघ्र ही प्राचार्य द्वारा डिप्टी जनरल मैनेजर MP Building Development Corporation, Division Jabalpur, Campus of chief engineer PWD Near Circuit House, Civil line, JBP (MP) को पत्र जारी किया जाएगा जिसके द्वारा रोजेंसी से कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने हेतु संवगत कराया जायेगा।

उक्त विधिमो पर अगस्त अहरयो की एक मतेन  
स्वीकृति प्रदान की गयी।

- ① श्री. राजेंद्र मिश्रा - 
- ② डॉ. क. एस. भादिया - 
- ③ डॉ. विजय खरे - 
- ④ श्री. नीरज बाबायसा - 
- ⑤ श्रीमति रिनु ठाकुर - 

नियमानुसार कार्य किया जाये

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर, दिनांक: 23.5.2022

क्रमांक: 2666 / मैदान निर्माण / 22

प्रति,

कार्यालय आयुक्त,  
निर्माण प्रभारी,  
उच्च शिक्षा म.प्र. शासन,  
सतपुड़ा भवन, पांचवीं मंजिल, भोपाल (म.प्र.)

विषय: महाविद्यालय के बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल मैदान निर्माण हेतु PWD से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु. 19.50 लाख के प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति बावत्।


संदर्भ: PWD से प्राप्त प्राक्कलन (DPR) (संलग्न-01)


महोदय जी,


उपरोक्त विषयातर्गत महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल मैदान की सीमेंटेड सतह का वर्तमान आक्यकतानुसार पुनर्निर्माण की दृष्टि से PWD विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु. 19.50 लाख (उन्नीस लाख पचास हजार) प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति हेतु संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। उपर्युक्त निर्माण कार्य महाविद्यालय क्रीड़ा मद की गत वर्षों में शेष राशि जो कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दिनांक 23.02.2021 की स्थिति में राशि रु. 22,57,377/- (बाईस लाख संतावन हजार ज़ीन सौ सतत्तर) शेष है के द्वारा खेल अधेसंरचना के विकास में निवेश किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखित है कि महाविद्यालय में लगभग 3500 (तीन हजार पांच सौ) छात्राये अध्ययनरत है एवं महाविद्यालय परिसर अवरिथित छात्रावास में 500 (पांच सौ) छात्राओं हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध है एवं नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा को ओपन इलेक्टिव विषय के रूप में वर्तमान सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर सम्मिलित किया गया है।

निवेदन है कि प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार (संलग्न-01)

  
क्रीड़ा प्रभारी

  
जनभागीदारी समिति  
प्रभारी

  
प्राचार्य  
शा.मो.ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान  
महिला महाविद्यालय, जबलपुर  
जबलपुर, दिनांक: 23.5.2022

क्रमांक: 2667 / मैदान निर्माण / 22  
प्रतिलिपि:-

1. महाविद्यालयीन निर्माण एवं जनभागीदारी समिति प्रभारी
2. मुख्य लिपिक

प्राचार्य  
शा.मो.ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान  
महिला महाविद्यालय जबलपुर



## कार्यालय प्राचार्य

शासकीय मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक 2666 / मैदान निर्माण / 22

जबलपुर, दिनांक 23.5.2022

प्रति,

कार्यालय आयुक्त,  
निर्माण प्रभारी,  
उच्च शिक्षा म.प्र. शासन,  
सतपुड़ा भवन, पांचवीं मंजिल, भोपाल (म.प्र.)

विषय: महाविद्यालय के बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल मैदान निर्माण हेतु PWD से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु. 19.50 लाख के प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति बावत्।


संदर्भ: PWD से प्राप्त प्राक्कलन (DPR) (संलग्न-01)


महोदय जी,


उपरोक्त विषयातन्तगत महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल मैदान की सीमेंटेड सतह का वर्तमान आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण की दृष्टि से PWD विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु. 19.50 लाख (उन्नीस लाख पचास हजार) प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति हेतु संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। उपर्युक्त निर्माण कार्य महाविद्यालय क्रीड़ा मद की गत वर्षों में शेष राशि जो कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दिनांक 23.02.2021 की स्थिति में राशि रु. 22,57,377/- (बाईस लाख सतावन हजार त्रीन सौ सतत्तर) शेष है के द्वारा खेल अधेसंरचना के विकास में निवेश किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखित है कि महाविद्यालय में लगभग 3500 (तीन हजार पांच सौ) छात्राये अध्ययनरत है एवं महाविद्यालय परिसर अवस्थित छात्रावास में 500 (पांच सौ) छात्राओं हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध है एवं नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा को ओपन इलेक्टिव विषय के रूप में वर्तमान सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर सम्मिलित किया गया है।

निवेदन है कि प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार (संलग्न-01)

  
क्रीड़ा प्रभारी

  
जनभागीदारी समिति  
प्रभारी

  
प्राचार्य  
शा.मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान  
महिला महाविद्यालय, जबलपुर  
जबलपुर, दिनांक 23.5.2022

क्रमांक 2667 / मैदान निर्माण / 22  
प्रतिलिपि:-

1. महाविद्यालयीन निर्माण एवं जनभागीदारी समिति प्रभारी
2. मुख्य लिपिक

प्राचार्य  
शा.मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान  
महिला महाविद्यालय जबलपुर

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक 3802/मैदान निर्माण/22

जबलपुर, दिनांक: 4-11-2022

प्रति,

डिप्टी जनरल मैनेजर,  
M.P. Building Development Corporation,  
Division-Jabalpur  
Campus of Chief Engineer P.W.D.,  
Near Circuit House, Civil Lines, Jabalpur (M.P.)

विषय: महाविद्यालय के बास्केटबॉल एवं वॉलाबॉल मैदान के निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृत पश्चात् निर्माण कार्य बावत्।

- संदर्भ: 1. महाविद्यालय का पत्र क्र. 2666/मैदान निर्माण/22, जबलपुर दिनांक 23.5.2022 (संलग्न-01)  
2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 21-4/2015/38-2, भोपाल, दिनांक 12/10/22 (संलग्न-02)

महोदय जी,

उपरोक्त विषयातर्गत संदर्भित पत्र क्र. 1 के अंतर्गत महाविद्यालय द्वारा कार्यालय आयुक्त, निर्माण प्रभारी, उच्च शिक्षा विभाग को महाविद्यालय परिसर में बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल मैदान निर्माण हेतु PWD विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु. 19.50 लाख (उन्नीस लाख पचास हजार) प्रेषित किया गया था। संदर्भित पत्र क्र. 2 के तहत महाविद्यालय को उक्त निर्माण कार्य हेतु बिंदु क्रमांक 18 पर दर्शित राशि स्वीकृत एवं प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त हो गई है।

अतः उक्त निर्माण कार्य संदर्भित पत्र क्र. 2 में दिये गये निर्देशों के तहत आपकी एजेंसी द्वारा किया जायेगा। कृपया शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार (संलग्न-01 (PWD के प्राक्कलन सहित) एवं 02)

क्रमांक 3803/मैदान निर्माण/22

प्रतिलिपि:-

1. कार्यालय, आयुक्त निर्माण प्रभारी, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
2. कार्यापालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-2, जबलपुर
3. महाविद्यालयीन भवन प्रभारी
4. महाविद्यालयीन खेल प्रभारी
5. मुख्य लिपिक
6. कार्यालयीन प्रति

डॉ. नंदिता सरकार  
प्राचार्या

शास. मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान  
महिला महाविद्यालय, जबलपुर  
जबलपुर, दिनांक: 4-11-2022

प्राचार्य

शास. मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान  
महिला महाविद्यालय, जबलपुर









बैंक दिनांक - 16-12-22

आज दिनांक 16-12-22 को समय 2.00 बजे, प्राचार्य महोदय में बैंक मायोजि की गई। बैंक में प्राचार्य, व मवन समीति प्रमारी व सदस्यों के मध्य निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई व शक मवन स्वीकृति प्रदान की गई।

- ① विश्व बैंक परियोजना द्वारा महाविद्यालय में मधीसंबंधी विकास के लिये प्रायकल्प चाहे गये जिसके तहत महा. द्वारा प्राथमिक प्रायकल्प P.I.U. द्वारा तैयार करवा कर शासन को भेजा गया था।
- ② जिसके तहत दिनांक 14.09.22 को Divisional Project Engineer PWD PIU Jabalpur द्वारा LOA Memo No. 414/SAC/PIU Jabalpur/Dated 14.09.22 द्वारा श्री Vinay Kumar Jyoti, Jabalpur Form को महाविद्यालय में नीचे भवनों के निर्माण कार्य हेतु work order जारी किया गया है।

निम्नलिखित बिंदुओं पर समस्त सदस्यों द्वारा शक मवन स्वीकृति प्रदान की गयी।

- ① प्रो. राजेन्द्र मिश्रा - 
- ② डॉ. के. राम. शास्त्री - 
- ③ डॉ. विजय खर - 
- ④ श्री नीरज बागचिया - 
- ⑤ श्रीमति विनु ठाकुर - 



DIVISIONAL PROJECT ENGINEER PWD PIU JABALPUR

Annexure - L  
(See clause 21 of Section 2 -ITB)

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

Memo. No. 414 / S.A.C. / P.I.U. / JABALPUR / DATED: - 14/9/2022

To.  
Shri Vinay Kumar Jait  
Jabalpur

Subject - Construction Renovation and Extantion Work of Government Mohanlal Hargovind Das Home Science College Under World Bank Scheme at Distt. Jabalpur. (3rd Call)(PAC 734.50 Laes) NIT No 2022\_PWPIU\_212327

Ref - 1. PD No.F 1-30/2022/NIT/Mo.har.das.m.gr.fog/mah/JBP/G/PD/829/Dt07.09.22  
2. APD No.F/G/12-2022/APD/ 1796 / Date 12/09/2022

Dear Sir,

Your bid for the work mentioned above has been accepted on behalf of the Governor of Madhya Pradesh at your bided percentage 6.55% Below or at the S.O.R for building and Electrical / Bill of Quantities w.e.f 01-12-2020 including all latest amendments and item wise rates given therein.-

You are requested to submit the following within 15 (Fifteen) days from the date of issue of this letter:

- The performance security/performance guarantee Rs. 3431951.00 (in figures) (Rupees Thirty four laes thirty one thousand nine hundred fifty one only). The performance security/ performance guarantee shall be in the shape of term deposit receipt/ bank guarantee of any nationalized / schedule commercial bank valid up to three months after the expiry of defects liability period. i/e for 54 months
- Additional performance guarantee Rs. 0.00 (in figures) (Rupees NIL only). Valid up to stipulated time of completion plus 03 months i.e 0 months
- Sign the contract agreement.

Please note that the time allowed for carrying out the work as entered in the bid is 15 months including rainy season, shall be reckoned from the date of signing the contract agreement.

Signing the contract agreement shall be reckoned as intimation to commencement of work and no separate letter for commencement of work is required. Therefore, after signing of the agreement, you are directed to contact the Engineer-in-charge for taking the possession of site and necessary instructions to start the work.

Yours Faithfully

Divisional Project Engineer  
PWD PIU Jabalpur

Endt. No. 415. / S.A.C. / P.I.U. /

JABALPUR / DATED: - 14/9/2022

- (1) Project Director, P.W.D. P.I.U. Madhya Pradesh, Bhopal.
- (2) Additional Project Director, P.W.D P.I.U. Zone Jabalpur.
- (3) All Project Engineer/ A. P. E. P.W.D (P.I.U.) Jabalpur
- (4) Technical Section & Auditor Divisional Office Jabalpur for maintaining the records update.

Divisional Project Engineer  
PWD PIU Jabalpur

Section 2 - Annexure - L

Dr. Nandita Sarkar

PRINCIPAL

Govt. M.H. College of Home Sci. & C.  
for Women, Jabalpur (M.P.)  
Science and Science for Women  
Jabalpur (M.P.)

